


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा

वाद वादी वकील श्री..... K.K.M. द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

1. वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है ।
2. वाद श्रवणाधिकार क्षेत्र का है ।
3. नियमानुसार कोर्ट फीस पर है ।
4. प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है ।
5. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की है ।
6. पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया है ।
7. वाद पात्र के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है ।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें पेश है ।


हस्ताक्षर लिपिक

12/8/15 वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जयें सम्मन तलब किया जावे ।
पत्रावली वाले जवाब दिनांक..... 30/9/15 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा

30/9/15 पत्रावली पेश की गयी किटानी कलेक्टर अकलेरा पर होने के पत्रावली वाले बाबिल कोर्ट में दि. 4-11-15 को पेश की।

4/11/15 जमानत के दिनांक 13/11/15 को पेश की।

13/1/16 पत्रावली पेश की गवलेनग नियुक्त निजु गण निजुपुत्र मध्याह्न पर उल्लिखित की 1, 2 व 4 को प्रत्येक से पूरी की निजु उल्लिखित प्रविषीतग जवाब प्रपत्रा मज्यालियत कोर्ट के सड निजुपुत्र एउ गण प्रपत्रा की जाली की कमील की उल्लिखित की 3 की गण प्रपत्रा हेतु गणवाग प्रपत्रा 500 प्रपत्रा कस्ये गणवाग रिगंड गणवाग प्रपत्रा की।

उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा

31/7/23 पत्रावली डी/0 दिनांक 19/9/23 पेश हो
19/9/23 पत्रावली डी/0 दिनांक 30/10/23 पेश हो
30/10/23 पत्रावली डी/0 दिनांक 15/1/24 पेश हो
15/1/24 पत्रावली डी/0 दिनांक 26/2/24 पेश हो
26/02/24 पत्रावली डी/0 दिनांक 23/04/24 पेश हो

23/4/24 पत्रावली की उर जारी कर व करीब कारीगर
के रकम रकम कर तीर मर्यादा काकाग दिनांक
गर्ज आवगत अनुपातित होत है पत्रावली
काउट हालती व कण्ट मर्यादा के लकीर की
पल्ली हो पत्रावली काउट लकीर लकीर
जावला इफ्तार करे कलाउर के डू एर

अलाहाबाद अधिकारी
अलाहाबाद (इलाहाबाद)